न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./67/2026

फत्ते पुत्र श्री कुन्दन जाति माली निवासी अहीरवाला नगला वल्लभगढ़ तहसील भुसावर, जिला भरतपुर

.....प्रार्थी0

बनाम

1. विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सरदार जाति जाट निवासी ग्राम वल्लभगढ़ तहसील भुसावर जिला भरतपुर

.....असल अप्रार्थी

2. उदय सिंह पुत्र कुन्दन जाति माली
3. ज्ञान सिंह पुत्र सरदार जाति जाट
4. बच्चू सिंह पुत्र सरदार जाति जाट
5. सम्पति पत्नी स्व0 शेरसिंह जाति जाट
6. पप्पू पुत्र शेरसिंह जाति जाट
7. करतार पुत्र शेरसिंह जाति जाट
8. संतान पुत्र शेरसिंह जाति जाट
9. कुसमा पुत्री शेरसिंह जाति जाट
10. मिथलेश पुत्री शेरसिंह

निवासी वल्लभगढ़ तहसील भुसावर जिला भरतपुर

11. लीला पुत्री सरदार पत्नी मानसिंह जाति जाट निवासी 54 मोहन नगर गोपालपुरा वाईपास दुर्गापुरा जयपुर
12. प्रेम पुत्री सरदार पत्नी बलवीर जाति जाट निवासी महतौली तहसील भुसावर जिला भरतपुर

.....तरतीवी अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरुद्ध श्री राधेश्याम मीणा उपखण्ड अधिकारी भुसावर व मु.सं. 73/2023 उनवानी विजेन्द्रसिंह बनाम उदयसिंह

उपस्थितः–
1–श्री पंकज कुमार अभिभापक प्रार्थी0,
2–श्री धर्मेन्द्र कुमार सोलंकी अभिभापक अप्रार्थी0 सं0 1,3 लगा. 12
3–श्री भूपेन्द्र सिंह अभिभापक अप्रार्थी0 सं0 2

निर्णय

दिनांक 13.02.2026

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया गया है, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 01.07.2025 को पत्रावली न्यायालय भू–प्रवन्ध अधिकारी भरतपुर के न्यायालय से प्राप्त होने पर दावे में आगामी पेशी 22.08.2025 नियत की गई। अप्रार्थी असल नजदीक तारीख पेशी का प्रार्थना पत्र पेश करने पर विना प्रार्थी को सुने विना, तारीख 23.07.2025 नियत कर

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

उसी दिन तनकी निर्मित कर दी व पत्रावली साक्ष्य के लिये नीयत कर दी जबकि दावे में तरतीवी अप्रार्थीगण की तलवी बकाया है। साथ ही वकील प्रार्थी का यह भी कहना है कि दावे में दर्ज तरतीवी प्रतिवादी शेरसिंह पुत्र सरदार की मृत्यु हो चुकी है। जिसको पूरी जानकारी वादी/असल अप्रार्थी को है लेकिन उसके द्वारा जनबूझकर उनके उनके वारिसों को रिकार्ड पर लेने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और जानबूझकर दावे का शीघ्र निस्तारण करने का प्रयास किया जा रहा है। पीठासीन अधिकारी ने पूर्व में कानूनी प्रावधानों के विरूद्ध दावा डिक्री कर दिया जिसकी अपील प्रार्थी द्वारा भू–प्रबन्ध अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में पेश की गई। भू–प्रबन्ध अधिकारी भरतपुर द्वारा इस आशय के साथ प्रकरण को रिमाण्ड किया गया है कि प्रकरण में प्रतिवादी शेरसिंह के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर समुचित साक्ष्य व कानूनी प्रावधानों के तहत पुनः निर्णय पारित करें। इसके उपरान्त भी पीठासीन अधिकारी, असल अप्रार्थी से मिलकर पूर्व की तरह असल अप्रार्थी के पक्ष में फैसला करने को आमादा हैं। दिनांक 24.07.2025 को असल अप्रार्थी ने प्रार्थी को धमकी दी कि पूर्व की तरह असल अप्रार्थी अपने पक्ष में फैसला करा लेगा। पीठासीन अधिकारी के कार्यव्यवहार से भी ऐसा प्रतीत होता है कि वह अप्रार्थी0 के पक्ष की ओर प्रमाणित है। प्रार्थी0 को शंका हो गई है कि उसे पीठासीन अधिकारी उपखण्डाधिकारी भुसावर से न्याय नहीं मिल सकता है इसलिये प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्डाधिकारी भुसावर में विचाराधीन दावा/प्रार्थना पत्र मुकदमा संख्या 73/2023 अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.एक्ट उनवानी विजेन्द्रसिंह बनाम उदयसिंह को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी0 की ओर से उनके अभिभाषक धर्मेन्द्र कुमार सोलंकी एवं भूपेन्द्र सिंह उपस्थित आये एवं जबाब प्रार्थना पत्र मुन्तकिली पेश किया, जो शामिल मिसिल किया गया। प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी भुसावर से टिप्पणी तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी भुसावर से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी0 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि पीठासीन अधिकारी उक्त मुकदमे में व्यक्तिगत रूचि ले रहे हैं। पीठासीन अधिकारी गैरप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय करने को उतारू हैं। दिनांक 01.07.2025 को पत्रावली न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी भरतपुर के न्यायालय से प्राप्त होने पर दावे में आगामी पेशी 22.08.2025 नियत की गई। अप्रार्थी असल नजदीक तारीख पेशी का प्रार्थना पत्र पेश करने पर बिना प्रार्थी को सुने बिना,

जिला कलक्टर
भरतपुर

.....3

तारीख 23.07.2025 नियत कर उसी दिन तनकी निर्मित कर दी व पत्रावली साक्ष्य के लिये नीयत कर दी जबकि दावे में तरतीवी अप्रार्थीगण की तलवी बकाया है। साथ ही वकील प्रार्थी का यह भी कहना है कि दावे में दर्ज तरतीवी प्रतिवादी शेरसिंह पुत्र सरदार की मृत्यु हो चुकी है। जिसको पूरी जानकारी वादी/असल अप्रार्थी को है लेकिन उसके द्वारा जानबूझकर उनके वारिसों को रिकार्ड पर लेने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। पीठासीन अधिकारी ने पूर्व में भी कानूनी प्रावधानों के विरूद्ध दावा डिक्री कर दिया था। जिसकी अपील प्रार्थी द्वारा भू–प्रबन्ध अधिकारी भरतपुर के न्यायालय में पेश की गई। भू–प्रबन्ध अधिकारी भरतपुर द्वारा इस आश्य के साथ प्रकरण को रिमाण्ड किया गया है कि प्रकरण में प्रतिवादी शेरसिंह के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर समुचित साक्ष्य व कानूनी प्रावधानों के तहत पुनः निर्णय पारित करें। फिर भी पीठासीन अधिकारी, प्रकरण में समुचित साक्ष्य व कानूनी प्रावधानों के विरूद्ध जानबूझकर दावे का शीघ्र निस्तारण करने पर आमादा हैं। विपक्षीगण ने प्रार्थीगण को धमकी दी है कि पीठासीन अधिकारी उपखण्डाधिकारी भुसावर से हमारी बातचीत हो गई हैं मुकदमे का फैसला अपने हक में करवा कर रहेगें। पीठासीन अधिकारी के कार्यव्यवहार से भी ऐसा प्रतीत होता है कि वह अप्रार्थी0 के पक्ष की ओर प्रमाणित है। प्रार्थी0 को शंका हो गई है कि उसे पीठासीन अधिकारी उपखण्डाधिकारी भुसावर से न्याय नहीं मिल सकता है इसलिये प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्डाधिकारी भुसावर में विचाराधीन दावा/प्रार्थना पत्र मुकदमा संख्या 73/2023 अन्तर्गत धारा 235 आर.टी. एक्ट उनवानी विजेन्द्रसिंह बनाम उदयसिंह को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का निवेदन किया।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने जबाब में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र मुन्तकिली में झूठे एवं बेबुनियाद आरोप लगाये गये हैं। शेरसिंह पुत्र सरदार के वारिसान को अपीलीय न्यायालय द्वारा ही रिकार्ड पर लिया जा चुका था जिसकी जानकारी प्रार्थी व उसके अभिभाषक को रही है उसके बाबजूद गलत तरीके से अधीनस्थ न्यायालय में एवेट करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। तथ्यों की रोशनी में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एसके वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया है जो कानूनी प्रांवधानों के विपरीत नहीं है। प्रार्थी प्रकरण की कार्यवाहियों को बाधित कर देरीना करने के दुराश्य से गलत दोषारोपण किया गया है। साथ ही वकील अप्रार्थी0 का यह भी कहना है कि अप्रार्थी0 ने प्रार्थी को कोई धमकी नहीं दी है। प्रार्थना पत्र को रंगत देने के लिए मिथ्या कथन किया गया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा पूर्ण निष्पक्ष रूप से विधिवत सुनवाई की जा रही है। प्रार्थी ने तहत न्यायालय में विचाराधीन दावा/प्रार्थना पत्र को देरीना करने के लिए न्यायालय श्रीमान के यहॉ मुन्तकिली प्रार्थना पत्र लगाया गया है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया किया। उपखण्डाधिकारी भुसावर से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपने मौखिक लगाये गये आरोपों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे उसके मौखिक कथनों की पुष्टी हो सके एवं उसके द्वारा लगाये गये आरोपों की प्रमाणिकता को बल मिल सके। अस्तु प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि –

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्डाधिकारी भुसावर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर